

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी,

मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती,
आजमगढ़, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, सहारनपुर तथा अलीगढ़।

संख्या- 1/182/2021-1/09/2021 : लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2021

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-04-मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,


उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-28/2021/791/33-3-2021-791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रू०-1,75,32,743/-(रुपया एक करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार सात सौ तैतालिस मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंसियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्ध ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

12. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
13. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
14. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
16. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
17. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
 1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिक्वेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2021-22 में यदि कोई धनराशि अवशेष हो तो उसे दिनांक 10.03.2022 तक निदेशालय को समर्पण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-104 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(राज कुमार)

निदेशक,

पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/182/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मा सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-30/09/2021

प्रेषण संख्या:- 1-182-2021-01-09-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 005-1-09-2021
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	09-विद्युत देय	10-जलकर / जल प्रभार	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	457134 1054000	77713 179180	0 0	0 5252	0 50000	0 5000	0 0	57623 107520	592470 1400952
2	भैरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1621900 3263885	275723 554860	0 0	0 14449	0 50000	0 5000	150000 150000	143360 280629	2190983 4318823
3	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	376467 1068300	150563 268174	0 0	0 6088	0 50000	0 5000	0 0	39883 97720	566913 1495282
4	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	758484 1054000	206999 257236	0 0	0 2600	0 50000	0 5000	0 0	82815 107520	1048298 1476356
5	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2030156 4603543	680737 1118212	0 0	0 22645	50000 100000	0 5000	0 0	194640 409775	2955533 6259175
6	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	529767 1221600	186693 304304	0 0	0 6088	0 50000	0 5000	0 0	49683 107520	766143 1694512
7	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	198327 1840016	172309 451396	0 0	0 14446	0 50000	0 5000	0 0	31835 169080	402471 2529938
8	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1684362 4200248	670348 1098048	0 0	122953 145092	50000 100000	0 5000	0 0	0 210328	2527662 5758716
9	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	218330 870730	104172 215080	30480 30480	0 5741	0 50000	0 5000	0 0	28396 82936	381373 1259967
10	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	177200 1151600	115396 281044	0 0	0 8574	50000 100000	5000 10000	0 0	26061 107520	373657 1658738
11	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 1776908	19001 321075	0 0	0 5590	0 50000	0 5000	0 0	0 53111	19001 2211684
12	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1074478 2506400	401671 645097	0 0	0 12600	0 50000	0 5000	0 0	114772 234480	1590921 3453577

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	09-विद्युत देय	10-जलकर / जल प्रभार	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	55-मकान किराया भत्ता	योग
13	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	481467 1114500	161006 268621	0 0	0 5570	0 50000	0 5000	0 0	1139 54060	643612 1497751
14	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 1082400	5466 269642	0 0	0 2374	0 50000	0 5000	0 0	0 45360	5466 1454776
15	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1229628 3987441	513111 981939	0 0	0 24268	0 0	0 0	0 0	149612 380165	1892351 5373813
16	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	521081 1091800	167740 264762	0 0	0 5022	0 50000	0 5000	0 0	33908 81620	722729 1498204
17	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	625000 1337600	228154 349296	0 0	0 6270	0 50000	0 5000	0 0	0 59573	853154 1807739
	योग	वर्तमान प्रगामी	11983781 33224971	4136802 7827966	30480 30480	122953 292669	150000 950000	5000 85000	150000 150000	953727 2588917	17532743 45150003

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार सात सौ तियालीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार तीन



(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी